


II/निग०/रीवा/2018/02269

55

1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



सुशीला पुत्री स्व० श्री रामसखा शुक्ला पत्नी तेजस्वरी प्रसाद जाति ब्रा० उम्र 70
वर्ष पेशा कृषि एवं गृहकार्य निवासी ग्राम सररहा सेंगर तहसील पड़रा व हाल
मुकाम रतहरा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0आवेदिका

अधिका० श्री राजकिशोर
यदुवेदी डा० पेशा
07.4.18

बनाम

1. रमाकान्त तनय स्व० श्री रामसखा ब्रा० उम्र 66 वर्ष
2. पंकज तनय रमाकान्त ब्रा० उम्र 38 वर्ष
3. अरविन्द कुमार तनय रमाकान्त ब्रा० उम्र 30 वर्ष
4. पुष्पराज तनय रमाकान्त ब्रा० उम्र 28 वर्ष पेशा कृषि एवं नौकरी

सभी निवासी ग्राम सरई सेंगर सर्किल देवतालाब तहसील मऊगंज जिला
रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक
165/ए-27/2016-17 आदेश दिनांक 13.
02.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 ई०


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

56

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग/रीवा/भूरा/2018/2269

सुशील शुक्ला / रमाकांत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री राजकिशोर चतुर्वेदी उपस्थित । उन्हें कायमी पर सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से अग्रहय की जाती है।</p>	<p> सदस्य 20/6/18</p>